

(3) द्वीप परिषद निधि की राशि इस विनियम के प्रावधानों के अधीन तथा इसके प्रयोजनों के लिए होगी और इसे विहित अनुसार ऐसे अभिरक्षा में रखा जाएगा ।

75. (1) द्वीप परिषद विहित प्रक्रिया के अनुसार तथा ऐसी सीमा के अधीन कर, शुल्क आदि निम्नलिखित करों, शुल्कों, चुंगी, उपकर तथा फीस की उगाही, प्राप्त आकलन और की उगाही निर्धारण करेगा, अर्थात्:

(क) कच्ची सड़क या उनके अधिकार क्षेत्र में किसी पुल या इस प्रबंधन के अधीन सड़क को छोड़कर किसी सड़क पर स्थापित टोल बार, घर, व्यक्तियों, वाहनों या किसी भी पशुओं के वर्ग पर लगाया गया कर;

(ख) इसके द्वारा स्थापित किसी फेरी या इसके प्रबंधन के अंतर्गत प्राप्त कर;

(ग) वाहनों के पंजीकरण पर फीस;

(घ) पूजा स्थलों या तीर्थस्थानों, मेलों के क्षेत्राधिकार में साफ-सफाई का प्रबंध कराने हेतु, फीस;

(ङ) मेला या मार्केट के लिए लाइसेंस फीस;

(च) जलकर, जहाँ द्वीप परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार के भीतर पेयजल, सिंचाई सुविधा या किसी अन्य प्रयोजन हेतु जलापूर्ति की व्यवस्था की जाती है;

(छ) प्रकाशकर, जहाँ द्वीप परिषद द्वारा क्षेत्राधिकार के भीतर पब्लिक स्ट्रीटों तथा स्थानों को रोशनाई करने की व्यवस्था की जाती है ।

बशर्ते कि द्वीप परिषद द्वारा वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा और इसके लिए फीस की उगाही नहीं की जाएगी और पूजा स्थलों, तीर्थस्थानों, मेलों में साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं की जाएगी या इसके लिए फीस की उगाही नहीं की जाएगी, यदि ऐसे वाहनों को तत्समय के लिए लागू किसी विधि के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही पंजीकृत कर दिया गया है या यदि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा साफ-सफाई की व्यवस्था हेतु पहले ही प्रावधान रखा गया है ।

(2) पथकर, शुल्क का मापमान अथवा दर और इसके अधिरोपित करने की शर्तें ऐसी होगी जैसा की निर्धारित किया जाएगा ।

76. प्रशासक, इस शर्त पर कि यदि वह ठीक समझे, द्वीप परिषद को सामान्य प्रयोजनों के लिए अनुदान प्रयोजनों अथवा द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सुधार हेतु के लिए अनुदान तथा वहाँ के निवासियों के कल्याण हेतु द्वीप परिषद को अनुदान दे सकता है ।

77. (1) प्रशासक, यदि वह ठीक समझे, द्वीप परिषद के क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित द्वीप परिषद को नीचे विनिर्दिष्ट प्रकार के किसी भी सम्पत्ति को द्वीप परिषद के निर्देश, प्रबंधन एवं किसी कार्य नियंत्रण में रख सकेगा, अर्थात्:

अथवा संस्थान का हस्तांतरण

(क) खुला स्थल, बंजर भूमि, खाली पड़ी भूमि तथा चरागाह भूमि जो निजी सम्पत्ति नहीं है तथा नदी तल;

(ख) सार्वजनिक सड़कें तथा गलियाँ;

(ग) सार्वजनिक नहरों, जल मार्ग, कुँओं, तालाबों, टैंकों (सरकार के नियंत्रणाधीन सिंचाई टैंकों को छोड़कर) सार्वजनिक झरनों, जलाशयों, हौज, जलसेतु तथा कोई पार्श्वस्थ भूमि (निजी सम्पत्ति न हो) जो किसी सार्वजनिक टैंकों अथवा तालाबों से संबंधित हो और इससे संबंधित भूमि;

(घ) सार्वजनिक मलनालियों, नालियों जल-निकास कार्यों, सुरंगों तथा पुलियों एवं इससे संबंधित चीजों और अन्य मल सफाई कार्य;